राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	1.5/2020	जगदीश / अमुनदास हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

05/3/21

आज यह पत्रावली वास्ते आदेश प्रस्तुत हुई। संक्षिप्त में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक बाबत तकासमॉं एवं स्थाई निषेधाज्ञा का विरुद्ध रेस्पोडेन्ट्स संख्या 2 लगायत 6 प्रस्तुत किया गया, जिसमे एक प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया जिस पर अधिनियम न्यायालय द्वारा प्रार्थी रेस्पो. संख्या 1 की इकतरफा सुनवाई कर अपने आदेश दिनांक 01/06/2020 के माध्यम से उभयपक्षकारान को आगामी तारीख पेशी तक के लिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबन्धित कर दिया गया।जिसके विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा यह अपील मय धारा 96 जाप्ता दीवानी के साथ इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी। जिस पर बहस अभिभाषक पक्षकारान समायत की गयी।

अभिभाषक उभयपक्षकारान की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलार्थी द्वारा यह अपील मुख्य रूप से ख.न. 123 के सन्दर्भ में उपखण्ड अधिनियम कोटपुतली द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत 15 फुट चौड़ा रास्ता देने के निर्णय के पश्चात अपीलाधीन आदेश दिनांक 01/06/2020 के जरिये विवादग्रस्त भूमि की मौका व रिकार्ड की यथास्थिति से प्रभावित होने का अंकन कर इस न्यायालय के समक्ष अपील लेकर आये है। इस सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत तकासमॉं एवं स्थाई निषेधाज्ञा के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पर मात्र आगामी तारीख पेशी तक के लिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा का अपीलाधीन आदेश दिनांक 01/06/2020 पारित किया गया है। इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपील के साथ अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 जाप्ता दीवानी प्रस्तुत किया है एवं निवेदन किया है कि प्रार्थी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पक्षकार वाद नही है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश अस्थाई निषेधाज्ञा से

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

प्राधिकृति / अनुनादान

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
158/2020		

प्रभावित है इसलिये अपील सन्दर्भित आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। इस सन्दर्भ में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। इस न्यायालय में अधीनस्थ न्यायालय से प्रार्थना पत्र धारा 212 RTACT की पत्रावली के अतिरिक्त मूल वाद की पत्रावली भी आई है जिसके अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रार्थी/अपीलार्थी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष लम्बित वाद एवं प्रार्थना पत्र धारा 212 में पक्षकार नही है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आज भी वाद एवं प्रार्थना पत्र धारा 212 लंबित है एवं जिस आदेश के विरुद्ध इस न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की गयी है, उसमे अधीनस्थ न्यायालयके समक्ष आगामी तारीख पेशी दिनांक 17/06/2020 नियत थी, जिसका तात्पर्य यह है कि प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आज भी लम्बित है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अन्तिम निस्तारित कर दिया होता तो प्रार्थी का इस न्यायालय के समक्ष धारा 96 जाप्ता दीवानी के प्रार्थना पत्र के साथ अपील प्रस्तुत किया जाना न्यायसंगत होता किन्तु चूँकी प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष लम्बित है एवं अपीलार्थी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उचित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने हेतु स्वतन्त्र है अत: प्रार्थी/अपीलार्थी को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पक्षकार बनने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर चाराजोही करने का ही मात्र विकल्प है।

अत: उपरोक्त विवेचन के अनुसार अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 96 जाप्ता दीवानी प्रकरण के इस स्तर पर संधारण योग्य नही रहने से ख़ारिज किया जाता है। तदनुसार अपील अपीलार्थी भी संधारण योग्य नही रहने से ख़ारिज की जाती है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 05/3/2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालयमें सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर (राजस्थान)